03/25 सरकार बनाम प्रेमराज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/5/26	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल (अप्रार्थी) प्रेमराज मीना पुत्र श्री मोरपाल मीना निवासी ग्राम बिलोपा, थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल (अप्रार्थी) के विरूद्व पुलिस थाना चौथ का बरवाडा सवाई माधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीबद्व होना बताया है– मुकदमा नं. 48/23 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. दिनांक 14.03.2023 जिसमें चार्जशीट नं. 20/23 दिनांक 14.03.23 को पेश न्यायालय की गई एवं माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट चौथ का बरवाडा ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 15.03.2023 को दोषी करार कर 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मुकदमा नं. 87/22 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. दिनांक 08.04.22 जिसमें चार्जशीट नं0 53/22 दिनांक 25.05.22 को पेश न्यायालय की गई एवं माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट चौथ का बरवाडा ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 27.06.22 को दोषी करार कर 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। गैरसायल जुआ खेलने व खिलाने जैसी वारदाते करने का आदि हो गया है। वह इतना बे–खोफ हो गया है कि रूपये पैसो के दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुंआ खेलता हुआ कई बार पकड़ा गया है। उक्त अपराध एक ऐसा अपराध है जिसके कारण समाज के नवयुवक वर्ग को खोखला कर दिया है। उक्त गैरसायल को बार–बार जुंआ खेलते हुए गिरफ्तार करने एवं उसके विरूद्व चालान पेश न्यायालय करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार कर अर्थ दण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतो व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है। वहीं अपने लाभ के लिए युवा पीढी को इस अपराध में धकेल रहा है जिसके कारण आम नागरिक उसके विरूद्व ना साक्ष्य देना चाहता है और ना ही उसके भय के कारण स्वतंत्र रूप से शिकायत उच्चाधिकारियों को अथवा पुलिस को दे पा रहे हैं। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट प्रति, न्यायालय निर्णय प्रतियां प्रस्तुत की है। अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल द्वारा असालतन उपस्थित होकर आरोप पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए शपथ पत्र पेश कर बहस में निवेदन किया कि:– • मैं किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हूं और न ही मेरे खिलाफ किसी थाने में ओर न्यायालयों में आपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं है। • मेरे खिलाफ कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। उक्त शपथ पत्र के साथ ग्राम पंचायत डेकवा पंचायत समिति चौथ का बरवाडा के प्रशासक द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र भी पेश किया जिसमें गैरसायल का चाल–चलन अच्छा, ग्राम मे सामाजिक सेवा में सदैव सहयोग रहने, छवि आपराधिक प्रवति की नहीं होने, ना ही व्यवहार झगडालू होने तथा व्यवसाय कृषि कार्य होना अंकन है। बहस के अन्त में गैरसायल द्वारा प्रार्थी के विरूद्व गुण्डा एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया गया। अभियोजन अधिकारी ने बहस मे तर्क दिया कि गैरसायल को मुकदमा नं0 87/22 व 48/23 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में दो बार दोष सिद्व कर अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा गैर सायल को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार कर अर्थ दण्ड से	प्रेमराज मीना 5 —

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जजं	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतो व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है। जो लोक व्यवस्था एवं लोक क्षेत्र के लिए घातक है। अतः गैरसायल को आदतन अपराधी मानते हुए राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जिले से निष्काषित किया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनने एवं उस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, सबूतो, दस्तावेजो का अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना चौथ का बरवाडा में दो प्रकरण पंजीबद्ध किये गये जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध कर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अधिनियम की धारा 9 सपठित राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का नियम 24 में यह प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 9 के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग में अधिनियम की धारा 3 के अधीन आदेश को विखण्डित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित बातों में से किसी पर भी विचार कर सकते है—

(1) कि सम्बन्धित व्यक्ति ने अपने आचरण में सुधार दिखलाया है।

(2) कि यह विश्वास करने का आधार है कि निष्कासन या प्रतिबन्धों का मूल आदेश आवश्यक नहीं था।

(3) कि इसको विखण्डित करना अन्यथा जनहित में होगा।

गैरसायल का अपराध अत्यन्त साधारण श्रेणी का है तथा इससे समाज को गंभीर हानि पहुंचने का अंदेशा प्रतीत नहीं होता है। अतः गैरसायल के विरूद्ध कठोर कार्यवाही समाज के व्यापक हित में प्रतीत नहीं होती है। गैरसायल के खिलाफ वर्ष 2023 के बाद से आदिनांक तक कोई अन्य प्रकरण दर्ज नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल ने अपने आचरण में सुधार दिखलाया है एवं उसकी गतिविधियों एवं कार्य से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को हानि होना दर्शित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का नियम 24 के आधार पर धारा 3 के अधीन आदेश विखण्डित किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर